

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा विभाग ( गुप-1)

कार्यालय सदस्य सचिव शुल्क रेगुलटरी कमेटी , राजस्थान , जयपुर

क्र. प. 1 (1)/ एम.ई. गुप-1/2003

दिनांक: 3/3/2015

आदेश

- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडेमी आफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय दिनांक: 14.8.2003 के अनुसरण में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की बैठक दिनांक: 23/2/2015 द्वारा विभिन्न पहलुओं के परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत निम्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अंतरिम शुल्क संरचना निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :


क्र.स.	पाठ्यक्रम का नाम/अन्य शुल्क	शुल्क ( रुपयों में )/प्रति वर्ष /प्रति छात्र
1	एम.बी.बी.एस (झालावाड मेडिकल कालेज प्राइवेट सीट)	7,20,000/-
	एम.बी.बी.एस (पैसेफिक मेडिकल कालेज उदयपुर)	7,50,000/-
2	एम.फार्मा (निजी कालेज)	90,000/-
3	बी.फार्म (निजी कालेज)	70,000/-
4	डी.फार्मा (निजी कालेज)	45,000/-

- यह शुल्क संरचना इस शर्त के अधीन रहेगा कि अंतरिम शुल्क , शुल्क रेगुलटरी कमेटी द्वारा अंतिम रूप से घटाया या बढ़ाया जा सकता है उक्त सम्भाव्यताके आधार पर निजी कालेजों को बढ़ा हुआ अथवा घटा हुआ शुल्क लौटाने की अनुमति दी जाती है अतः निजी कालेज छात्रों से इस आशय का वचन पत्र निष्पादित करा सकेंगे।
- उपर्युक्त शुल्क के अलावा छात्रावास तथा परिवहन शुल्क पृथक से छात्रों से लिये जा सकेंगे।
- मैस हेतु मासिक रूप से वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित की गयी राशि छात्रों से सहकारिता के आधार पर ली जायेगी । छात्रावास के बिजली आपूर्ती के बिलों की राशि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों में मध्य समान रूप से सम्विभाजित की जावेगी ।
- कॉलेज में प्रवेश के समय एक ही बार कॉशन मनी ली जायेगी जो कोर्स पूरा करने पर वापस की जाएगी ।
- उक्त छात्रों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क वसूल किया जा सकेगा ।
- उक्त कालेज औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से उपरोक्त शुल्क के अलावा किसी भी तरह का शुल्क अथवा डोनेशन, विकास शुल्क, लैबोरेटरी शुल्क, अस्पताल शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क इत्यादि छात्रों से वसूल नहीं करेंगे उक्त कालेज यदि ऊपर वर्णित शुल्क के अतिरिक्त

h. 10/12

कोइ शुल्क वसूल करते हैं तो वह कैपिटेशन शुल्क की परिभाषा में माना जायेगा एवम तदानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी ।


8. शैक्षणिक सत्र 2015-16 से प्रभाव हेतु निर्धारित अंतरिम शुल्क को अंतिम शुल्क निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।
9. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

  
(जे.सी.महांती)

सदस्य सचिव,शुल्क रेगुलेटरी कमेटी

प्रतिलिपी सूचनार्थः

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव महामहिम राज्य पाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव माननीय मंत्री चिकित्सा एवम स्वास्थ्य
4. जस्टिस एस.एन.भार्गव, अध्यक्ष 20/46 रेणु पथ, अम्बेडकर नगर,मानसरोवर,जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार.
6. सदस्यगण शुल्क रेगुलेटरी कमेटी
7. व.निजी सहायक विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय , जयपुर
9. अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा
- 10.प्रधानाचार्य एवम नियंत्रक मेडिकल कालेज  
जयपुर/अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा
- 11.सयोजक प्रवेश मंडल
- 12.----- कालेज
- 13.रक्षित पत्रावली

  
(सम्पत मल लोढा)

शासन उप सचिव ( चि.शि.)